यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारसन, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारसन, हरिद्वार के माह 04/2012 से 06/2017 तक के लेखा– अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, श्री प्रितान्शु कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 28.07.2017 से 01.08.2017 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई को 04/2012 में आहरण एवं संवितरण का दायित्व सौंपा गया, जिसके कारण इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

इकाई द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत स्थापित चिकित्सा उप–केन्द्रों के माध्यम से चिकित्सा, स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं का सम्पादन, अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण विकास खण्ड है, जिसमें आने वाले समस्त रोगियों का ईलाज किया जाता है।

(ii) (अ) विगत पॉच वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2012–13	–	–	124.43	109.51	81.30	78.44	–	14.92	–	2.86
2013–14	–	–	228.14	211.12	122.19	120.20	–	17.02	–	1.99
2014–15	–	–	166.89	165.49	159.77	157.88	–	1.40	–	1.89
2015–16	–	–	176.26	175.04	168.88	160.31	–	1.22	–	8.57
2016–17	–	–	181.13	179.46	149.77	147.46	–	1.67	–	2.31
2017–18 (06/2017)	–	–	60.64	42.36	64.54	30.95	–	18.28	–	33.59

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है:

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2012–13	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	11.41	50.49	50.52	–	11.38
2013–14		11.38	95.19	88.40	–	18.17
2014–15		18.17	133.47	122.73	–	28.91
2015–16		28.91	134.59	155.40	–	8.10
2016–17		8.10	163.11	155.85	–	15.36
2017–18 (06/2017)		15.36	28.53	7.63	–	36.26

(iii) इकाई को बजट आबंटन केन्द्रांश एवं राज्यांश के रुप में राज्य स्तर से तथा एन0एच0एम0 का आबंटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से प्राप्त होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ''सी'' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् है:–

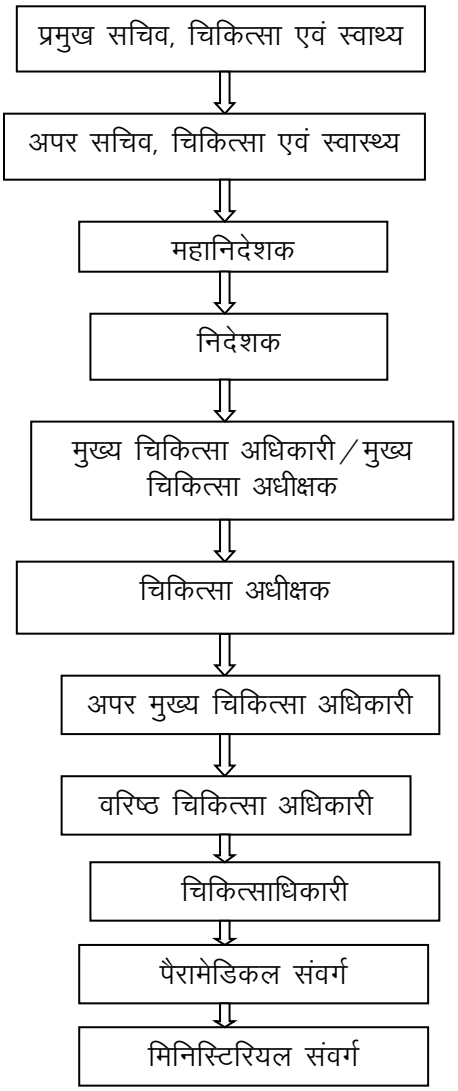

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारसन, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारसन, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मई 2013, मार्च 2015 एवं मार्च 2017 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रु0 16.28 लाख का अनियमित व्यय।

राष्ट्रीय कार्यक्रम **जननी सुरक्षा योजना** अप्रैल 2005 में प्रारम्भ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु की दर को कम किया जा सके। जननी सुरक्षा योजना की निर्देशिका के अनुसार सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव कराने पर महिला को प्रोत्साहन राशि के रुप में ग्रामीण क्षेत्र में रु0 1400 एवं शहरी क्षेत्र में रु0 1000 का भुगतान चैक के माध्यम से किया जाना चाहिए। योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार (i) प्रसव की सम्भावित तिथि से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक महिला लाभार्थी हेतु जे0एस0वाई0 कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजों सहित उसे प्रसव की सम्भावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी को डिस्चार्ज करते समय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सके, (ii) लाभार्थी को प्रसव के पश्चात् कम से कम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुकना आवश्यक है, (iii) लाभार्थी को चिकित्सालय से डिस्चार्ज करते समय अनिवार्य रुप से देय राशि का भुगतान किया जाना चाहिए एवं (iv) प्रसव से सात दिन पूर्व या सात दिन पश्चात् किया गया कोई भी भुगतान अवैध माना जायेगा।

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारसन, हरिद्वार के जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि केन्द्र में वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक कुल 1,163 संस्थागत प्रसव हुए, जिनको ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित रु0 1,400 की दर से रु0 16.28 लाख लाभार्थियों को भुगतान किया गया। जॉच में पाया गया कि संस्थागत प्रसव हुए 1,163 महिलाओं में से समस्त प्रकरणों में जे0एस0वाई0 कार्ड प्रसव के पश्चात् केन्द्र में ही भरे गये थे तथा 196 प्रकरणों में 196 लाभार्थियों को प्रदत्त प्रोत्साहन राशि रु0 2.74 लाख का भुगतान निर्धारित तिथि से 01 से 128 दिनों[1] के पश्चात् किया गया। इसप्रकार, अनियमित भुगतान का विवरण निम्नवत् हैः–

वर्ष	कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या	भुगतान किए गये लाभार्थियों की संख्या	कुल प्रदत्त राशि @ 1400	सात दिन पश्चात् भुगतान किए गये लाभार्थियों की संख्या	सात दिन पश्चात् भुगतान की राशि
2012–13	195	195	2,73,000	07	9,800
2013–14	213	213	2,98,200	–	–
2014–15	271	271	3,79,400	39	54,600
2015–16	252	252	3,52,800	32	44,800
2016–17	232	232	3,24,800	118	1,65,200
योगः–	**1,163**	**1,163**	**16,28,200**	**196**	**2,74,400**

[1] वर्ष 2012–13 : 01 से 08 दिन, वर्ष 2014–15 : 02 से 52 दिन, वर्ष 2015–16 : 01 से 15 दिन एवं वर्ष 2016–17 : 01 से 128 दिन।

इसप्रकार, योजना के दिशा–निर्देशों का अनुपालन न किए जाने पर न केवल 1,163 लाभार्थियों को किया गया रु0 16.28 लाख का भुगतान अनियमित था अपितु 196 लाभार्थियों को विलम्ब से किया गया रु0 2.74 लाख का भुगतान अवैध (illegitimate) था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर चिकित्सा अधीक्षक ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि ए0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण, परिवार कल्याण इत्यादि में ब्यस्थता के कारण जे0एस0वाई0 कार्ड पूर्व में नहीं भरे गये। विलम्ब से भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में बताया कि जे0एस0वाई0 मद में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण निर्धारित समयावधि में राशि का भुगतान नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के अधीन निर्धारित शर्तों के अनुपालन पर ही लाभार्थी को भुगतान किया जाना चाहिए था, जबकि स्वास्थ्य केन्द्र में इन दिशा–निर्देशों का उलंघन करते हुए अनियमित रुप से लाभार्थियों को भुगतान किया जा रहा था।

अतः जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रु0 16.28 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 रु0 2.16 लाख के डेन्टल यूनिट का अनुपयोगी रहना।

स्वास्थ्य निदेशालय, देहरादून द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारसन हेतु 18 जनवरी 2005 में एक डेन्टल यूनिट जिसका वास्तविक मूल्य रु0 2,16,320 था, क्रय कर केन्द्र को निर्गत की गई।

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारसन, हरिद्वार के उपकरण भण्डार पंजिका की नमूना जॉच में पाया गया कि डेन्टल यूनिट की प्राप्ति के 12 वर्ष ब्यतीत हो जाने के बावजूद भी डेन्टल यूनिट का उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा स्वास्थ्य केन्द्र में अनुपयोगी पडी हुई है। इसप्रकार, डेन्टल यूनिट का उपयोग न होने के कारण न केवल रु0 2.16 लाख अनुपयोगी हुआ अपितु जन सामान्य को इसका लाभ भी नहीं मिल पाया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर चिकित्सा अधीक्षक ने अपने उत्तर में बताया कि डेन्टल सर्जन की तैनाती न होने के कारण डेन्टल उपकरण उपयोग में नहीं लाये जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि डेन्टल सर्जन के 12 वर्ष तक तैनाती नहीं की जा सकी थी तो उपकरण को निदेशालय को वापस किया जाना चाहिए था ताकि उसका उपयोग उन स्वास्थ्य केन्द्रों में किया जा सकता था जहॉ पर डेन्टल सर्जन उपलब्ध है।

अतः रु0 2.16 लाख के डेन्टल यूनिट के अनुपयोगी रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–3 ब्याज की धनराशि रु0 4.35 लाख को राजकोष में जमा न किया जाना।

शासनादेश संख्या 99/XXVII(14)/2009 दिनांक 03.09.2009 के अनुसार समेकित निधि से आहरित धनराशि पर अर्जित ब्याज की राशि राजकोष में लेखाशीर्ष 0049 ब्याज प्राप्तियों के अन्तर्गत जमा की जानी चाहिए।

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारसन, हरिद्वार की संप्रेक्षा के दौरान अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि माह मार्च 2017 तक एन0एच0एम0 एवं स्थापना के अन्तर्गत कुल रु0 4.35 लाख का ब्याज संकलित हुआ था, जिसको राजकोष में जमा नहीं किया गया। इसप्रकार, रु0 4.35 लाख का राजकोष में जमा नहीं किए जाने पर सीधे शासनादेश का उल्लंघन है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर चिकित्सा अधीक्षक ने अपने उत्तर में बताया कि उच्चाधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर ब्याज की राशि जमा की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासनादेश के अनुसार ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा की जानी चाहिए थी।

अतः ब्याज की धनराशि रु0 4.35 लाख को राजकोष में जमा न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–1 स्वास्थ्य केन्द्र से बाहर सम्बद्वता के कारण रु0 29.35 लाख का अनियमित भुगतान।

महानिदेशक, देहरादून के पत्रांक दिनॉक 10 जून 2016 द्वारा अग्रेशित शासनादेश 684/XXVII-3-2016-76/2015 दिनॉक 03.06.2016 में वर्णित किया गया था कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नियुक्त ऐसे कार्मिकों जो अपने मूल तैनाती स्थान से अन्यंत्र सम्बद्वीकृत किए गये हो, को तत्काल रुप से समाप्त किया जाए।

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारसन, हरिद्वार के वेतन बिल एवं उपस्थिति पंजिका की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यालय में तैनात श्री बच्चन सिंह कलूडा, फार्मासिस्ट देहरादून स्थित निदेशालय में सम्बद्व किया गया था तथा उसकी सेवाऐं 04 जनवरी 2017 से नियमित रुप से निदेशालय में ही ली जा रही है, श्री राजेन्द्र प्रसाद, वार्ड व्वाय को सी0एच0सी0, खानपुर में सम्बद्व किया गया था तथा उसकी सेवाऐं 12 जनवरी 2009 से नियमित रुप से खानपुर में ही ली जा रही है एवं श्रीमती राजेश कुमारी, ए0एन0एम0 पी0एच0सी0, रोशनाबाद में सम्बद्व किया गया था तथा उसकी सेवाऐं 02 अगस्त 2016 से नियमित रुप से रोशनाबाद में ही ली जा रही है। उक्त सम्बद्व कार्मिकों के वेतन बिलों की नमूना जॉच में पाया कि सम्बद्व तीनों कार्मिकों के वेतन एवं भत्ते सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारसन, हरिद्वार से आहरित किए जा रहे हैं। इस प्रकार, सम्बद्व की गई अवधि से जून 2017 तक आहरित धनराशि रु0 29.35 लाख (श्री बच्चन सिंह कलूडा : रु0 5,33,924.00, श्री राजेन्द्र प्रसाद : रु0 16,71,875.00 एवं श्रीमती राजेश कुमारी : रु0 7,29,345.00) अनियमित है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि सम्बद्वीकरण निदेशालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेशों से किया गया है, जिसे उच्चाधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर सम्बद्वता समाप्त की जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि शासनादेश के अनुसार सम्बद्वता समाप्त कर ली जानी चाहिए थी।

अतः स्वास्थ्य केन्द्र से बाहर सम्बद्वता के कारण रु0 29.35 लाख के अनियमित भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
प्रथम लेखापरीक्षा		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः शून्य

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

–– शून्य ––

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारसन, हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) } –– शून्य ––
   (ii) }

2. सतत् अनियमितताऐंः

   (i) } –– शून्य ––
   (ii) }

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा0 आलोक कुमार सिन्हा	चिकित्सा अधीक्षक	01.04.2012 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारसन, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र